

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक: 27/11/2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा अति. प्रभार आयुक्त, आयुष को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ करता है।

श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा मिशन सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

2/ डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, समग्र शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

3/ श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), प्रबंध संचालक, मार्कफेड तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मंत्रालय पदस्थ करता है।

4/ श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005), सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग तथा अति. प्रभार आबकारी आयुक्त, प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन के अति. प्रभार से मुक्त होंगी।

2.....



श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

5/ श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, समग्र शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, आयुष के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

6/ श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2012), मिशन संचालक, जल जीवन मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, मार्कफेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, मार्कफेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

7/ श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का अति. प्रभार सौंपता है।

8/ सुश्री इफ्फत आरा, भा.प्र.से. (2012), अपर संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा अति. प्रभार अपर संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

9/ सुश्री संतन देवी जांगड़े, भा.प्र.से. (2016), संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, आयुष का अति. प्रभार सौंपता है।

10/ श्री सुखनाथ अहिरवार, भा.प्र.से. (2016), सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग तथा संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

11/ डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, नगरीय प्रशासन तथा अति. प्रभार उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

12/ श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. (2019), अपर कलेक्टर, धमतरी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है।

श्रीमती रीता यादव, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

13/ श्री लोकेश कुमार, भा.प्र.से. (2019), उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अति. प्रभार उप सचिव, श्रम विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, उद्यानिकी के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री लोकेश कुमार, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, उद्यानिकी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, उद्यानिकी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रजत कुमार)
सचिव

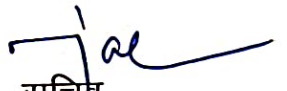
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.: ई 1-01/2025/एक-2
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक: 27/11/2025

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,
2. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

3. अनुसंधान अधिकारी (केरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/वाणिज्यिक कर (आव.) /लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा/स्कूल शिक्षा/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/महिला एवं बाल विकास/ग्रामोद्योग/जल संसाधन/खेल एवं युवा कल्याण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/श्रम/कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
10. आयुक्त, जनसंपर्क/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/समग्र शिक्षा
11. कलेक्टर, जिला- धमतरी,
12. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग,
13. संचालक/प्रबंध संचालक/मिशन संचालक, महिला एवं बाल विकास/समग्र शिक्षा/स्वास्थ्य सेवार्य/आयुष/उद्यानिकी/छ.ग. बेवरेजेस कार्पोरेशन/छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/पाठ्य पुस्तक निगम/मार्कफेड/नागरिक आपूर्ति निगम/छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/जल जीवन मिशन,
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिराग परियोजना,
15. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
16. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
17. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन (स्था./अधी./कक्ष-13)/गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
18. संबंधित अधिकारीगण/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
19. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
20. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय /इंद्रावती कोषालय, रायपुर/धमतरी/नवा रायपुर अटल नगर,
21. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग